

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी

प्रलिस के लयः

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधनियम, 2008, गैरकानूनी गतविधियौं (रोकथाम) अधनियम, सारक सम्मलेन (आतंकवाद उनमूलन) अधनियम, एनआईए वशिष न्यायालय, साइबर आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद (LWE), नकली मुद्रा ।

मेन्स के लयः

सूचीबद्ध अपराध, एनआईए वशिष न्यायालय, एनआईए में हालिया संशोधन, वभिनिन सुरक्षा बल और एजेंसियौं और उनका जनादेश ।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महाराष्ट्र के अमरावती में एक फार्माससिट की बर्बर हत्या की [जाँच राष्ट्रीय जाँच एजेंसी \(NIA\)](#) को सौंप दी है ।

राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA):

परचियः

- NIA भारत की केंद्रीय आतंक रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी है, जो भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को प्रभावति करने वाले सभी अपराधौं की जाँच करने के लयि अनविर्य है । उसमे समावषिट है:
 - वदिशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध ।
 - परमाणु और नाभिकीय सुवधिओं के वरिद्ध ।
 - हथियारों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी तथा सीमाओं के पार से घुसपैठ ।
 - **संयुक्त राष्ट्र**, इसकी एजेंसियौं और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अंतरराष्ट्रीय संधियौं, समझौतौं, सम्मेलनौं एवं प्रस्तावौं को लागू करने के लयि अधनियमति वैधानकि कानूनौं के तहत अपराध ।
- इसका गठन **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) अधनियम, 2008 के तहत कयि गया था ।**
- एजेंसी को गृह मंत्रालय से लखिति उद्घोषणा के तहत राज्यों से वशिष अनुमति के बनिा राज्यों में आतंकवाद से संबंधति अपराधौं की जाँच करने का अधिकार है ।
- मुख्यालय: नई दल्लि

उद्भवः

- नवंबर 2008 में **26/11 मुंबई आतंकवादी हमले** के मद्देनज़र, जसिने पूरी दुनिया को झकझोर दयि था, तत्कालीन संयुक्त प्रगतशील गठबंधन सरकार ने NIA की स्थापना का फैसला कयि ।
 - दसिंबर 2008 में पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री पी चर्दिबरम ने राष्ट्रीय जाँच एजेंसी वधियक पेश कयि ।
- एजेंसी 31 दसिंबर, 2008 को अस्ततिव में आई और वर्ष 2009 में इसने अपना कामकाज शुरु कयि । अब तक NIA ने 447 मामले दर्ज कयि हैं ।

कषेत्राधिकारः

- जसि कानून के तहत एजेंसी संचालति होती है वह पूरे भारत में तथा देश के बाहर भारतीय नागरिकौं पर भी लागू होती है ।
- सरकार की सेवा में व्यक्तजिहाँ कहीं भी तैनात है ।
- भारत में पंजीकृत जहाज़ौं और वमिनौं पर व्यक्तजि, चाहे वे कहीं भी हौं ।
- वे व्यक्तजिो भारत के बाहर भारतीय नागरिकि के वरिद्ध या भारत के हति को प्रभावति करने वाला सूचीबद्ध अपराध करते हैं ।

सूचीबद्ध अपराधः

- अधनियम के अंतरगत अपराधौं की एक सूची बनाई गई है जनि पर NIA जाँच कर सकती है और मुकदमा चला सकती है ।
- सूची में शामिल हैं:

- [वसिफोटक पदारथ अधिनियम](#)
- [परमाणु ऊर्जा अधिनियम](#)
- [गैरकानूनी गतविधियाँ \(रोकथाम\) अधिनियम](#)
- [अपहरण रोधी अधिनियम](#)
- [नागरिक उड्डयन अधिनियम की सुरक्षा के खिलाफ गैरकानूनी अधिनियमों का दमन](#)
- [सारक सममलेन \(आतंकवाद का उनमूलन\) अधिनियम](#)
- [कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्ट पर समुद्री नेविगेशन और फकिंसड प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के वरिद्ध गैरकानूनी कृत्यों का उनमूलन](#)
- [सामूहिक वनिाश के हथियार और उनकी आपूर्ति प्रणाली \(गैरकानूनी गतविधियाँ नषिध\) अधिनियम](#)
- [भारतीय दंड संहिता, शस्त्र अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत कोई अन्य प्रासंगिक अपराध](#)
- [स्वापक औषधि और मनःपरभावी पदारथ अधिनियम](#)

NIA की जाँच प्रक्रिया:

■ सफिरशि:

◦ राज्य सरकार:

- अधिनियम की धारा 6 के तहत राज्य सरकारें किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज सूचीबद्ध अपराधों से संबंधित मामलों को **NIA जाँच के लिये केंद्र सरकार (केंद्रीय गृह मंत्रालय) को भेज सकती हैं**।
 - उपलब्ध कराए गए वविरण का आकलन करने के बाद केंद्र एजेंसी को मामले को संभालने का नरिदेश दे सकता है।
- राज्य सरकारों को NIA को सभी प्रकार की सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है।

◦ केंद्र सरकार:

- **भारत में: जब केंद्र सरकार की राय है कि किये गए अनुसूचित अपराध की जाँच अधिनियम के तहत की जानी आवश्यक है, तो वह जाँच करने के लिये एजेंसी को नरिदेश दे सकती है।**
- **भारत के बाहर: जब केंद्र सरकार को पता चलता है कि भारत के बाहर किसी भी स्थान पर जहाँ अनुसूचित अपराध किया गया है, यह अधिनियम लागू होता है, वह NIA को मामला दर्ज करने और जाँच करने का नरिदेश भी दे सकती है।**

■ अनुमोदन:

- **गैरकानूनी गतविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA)** और कुछ अन्य अनुसूचित अपराधों के तहत आरोपी पर मुकदमा चलाने के लिये एजेंसी केंद्र सरकार से मंजूरी मांगती है।
 - UAPA की धारा 45 (2) के तहत गठित 'प्राधिकरण' की रपिरट के आधार पर UAPA के तहत मंजूरी दी जाती है।

■ अन्य:

- नक्सली समूहों के आतंकी वतितपोषण पहलुओं से संबंधित मामलों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिये एक **वशिष वामपंथी उग्रवाद (LWE)** सेल है।
- किसी भी सूचीबद्ध अपराध की जाँच करते समय एजेंसी किसी अन्य अपराध की जाँच भी कर सकती है, यदि अपराध सूचीबद्ध अपराध से जुड़ा है।
- जाँच के बाद मामलों को **NIA की वशिष न्यायालय** में रखा जाता है।

NIA का वशिष न्यायालय:

- अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिये केंद्र सरकार **NIA अधिनियम, 2008** की धारा 11 और 22 के तहत एक या अधिक वशिष न्यायालयों का गठन करती है।
- **संरचना:**
 - वशिष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाती है जिसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा **उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश** की सफिरशि पर की जाती है।
 - यदि आवश्यक हो तो केंद्र सरकार वशिष न्यायालय में एक या एक से अधिक अतरिकित न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सफिरशि पर कर सकती है।
- **वशिष न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र:**
 - **आपराधिक प्रक्रिया संहिता**, 1973 के तहत सत्र न्यायालयों को प्राप्त सभी अधिकार वशिष न्यायालयों को भी प्राप्त हैं।
 - किसी वशिष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर **किसी भी प्रश्न की स्थिति में इसे केंद्र सरकार को संदर्भित किया जाएगा जिसका नरिणय अंतिम होगा।**
 - **सर्वोच्च न्यायालय** किसी वशिष न्यायालय के समक्ष लंबति किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य वशिष न्यायालय को अथवा किसी असाधारण मामले में जहाँ शांतपूरण, न्यायपूरण, नषिपक्ष और त्वरति सुनवाई संभव नहीं हो, किसी अन्य राज्य के वशिष न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है।
 - इसी प्रकार **उच्च न्यायालय** के पास यह शक्ति है कि वह किसी वशिष न्यायालय के समक्ष लंबति किसी मामले को उस राज्य के किसी अन्य वशिष न्यायालय को हस्तांतरित कर सकता है।

NIA अधिनियम में हाल के संशोधन:

- NIA को 2019 में भारत के बाहर किये गए अपराधों सहित कुछ अपराधों की त्वरति जाँच और अभयिजन के उद्देश्य से संशोधित किया गया था।
- संशोधन के तीन मुख्य क्षेत्र:

- भारत के बाहर अपराध:
 - मूल अधिनियम ने NIA को भारत में अपराधों की जाँच और मुकदमा चलाने की अनुमति दी।
 - संशोधित अधिनियम ने एजेंसी को अंतरराष्ट्रीय संधियों और अन्य देशों के घरेलू कानूनों के अधीन भारत के बाहर कथि गए अपराधों की जाँच करने का अधिकार दिया।
- कानून का दायरा बढ़ाना:
 - संशोधन ने NIA को नमिनलखिति से संबंधित मामलों की जाँच करने की अनुमति दी है:
 - मानव तस्करी
 - जाली मुद्रा या बैंक नोट
 - प्रतर्बिधति हथियारों का नरिमाण या बकिरी
 - साइबर आतंकवाद
 - वस्फोटक पदार्थ अधिनियम, 1908 (Explosive Substances Act) के तहत अपराध
- विशेष न्यायालय:
 - 2008 के अधिनियम ने अपराधों की सुनवाई के लिये विशेष न्यायालयों का गठन कथि।
 - वर्ष के संशोधन ने केंद्र सरकार को अधिनियम के तहत अनुसूचित अपराधों के परीक्षण हेतु सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में नामति करने की अनुमति दी।
 - इसे विशेष न्यायालय के रूप में नामति करने से पहले केंद्र सरकार को उच्च न्यायालय के उस मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने की आवश्यकता होती है जिसके तहत सत्र न्यायालय कार्य कर रहा है।
 - राज्य सरकारें अनुसूचित अपराधों के मुकदमे के लिये सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालयों के रूप में भी नामति कर सकती हैं।

यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न:

प्रश्न. संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा स्थापति स्टग्लिटिज आयोग अंतरराष्ट्रीय सत्र पर चर्चा में था। कसिके साथ सौदा करने हेतु आयोग का समर्थन कथि गया था? (2010)

- आसन्न वैश्विक जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियाँ और एक रोडमैप तैयार करना।
- वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के कामकाज और अधिक टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था को सुरक्षति करने के तरीकों तथा साधनों का पता लगाने हेतु।
- वैश्विक आतंकवाद और आतंकवाद के शमन के लिये एक वैश्विक कार्ययोजना तैयार करना।
- वर्तमान वैश्विक परदिश्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वसितार।

उत्तर: (b)

व्याख्या:

- अंतरराष्ट्रीय मुद्रा और वित्तीय प्रणाली के सुधारों पर विशेषज्ञों का आयोग, जिसै स्टग्लिटिज आयोग कहा जाता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष द्वारा आहूत कथि गया। इसकी अध्यक्षता जोसेफ स्टग्लिटिज ने की थी।
- आयोग को विश्व बैंक और आईएमएफ जैसे प्रमुख नकियाँ सहति वैश्विक वित्तीय प्रणाली के कामकाज की समीक्षा करने, एक अधिक स्थायी वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को सुरक्षति करने हेतु सदस्य राज्यों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव देने का कार्य सौपा गया था। अतः विकल्प (b) सही उत्तर है।

स्रोत: द हिंदू